



कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of MS&ME, Govt. of India)

कयर हाउस, एम.जी.रोड., कोची - 682016
Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016
तार/ Gram : COIR BOARD
दूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788
फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397
ई-मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in
वेब/ Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in

ए-58/3/2018-प्रशा (स्था.)

28.10.2019

परिपत्र

विषय: एमएसीपीएस पर वेतन-नियतन के लिए विकल्प - सं.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.35034/1/2017-स्था. दिनांक 20.09.2018 में निहित निर्देशों के अनुरूप, सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के संदर्भ में एमएसीपी पर वेतन-नियतन के लिए विकल्प की उपलब्धता पर, यदि विकल्प चुना गया तो, अगली वेतन-वृद्धि की तिथि से लागू होगा, जिन कर्मचारियों को दि.01.01.2016 से 20.09.2018 के बीच एमएसीपी प्रदान किया गया था, उन्हें इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर, एफआर 2 (1 (a1 (11))) के तहत वेतन-नियतन के अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए अनुमति है। ऐसे प्राप्त विकल्प अंतिम होगा।

यह अध्यक्ष, कयर बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में

1. सभी उप कार्यालय और शोरूम व बिक्री केन्द्र
2. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड
3. कयर बोर्ड वेबसाइट



कोयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of MS&ME, Govt. of India)

कोयर हाउस, एम जी रोड., कोची - 682016
Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016
तार/ Gram : COIR BOARD
दूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788
फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397
ई-मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in
वेब/ Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in

No.A-20012/46/2015-ADM(PERSONNEL)

Date:28.10.2019

CIRCULAR

Sub: Option for Fixation of pay on MACPS – Reg.

In line with the instructions contained in the Office Memorandum No.35034/1/2017-Estt. dated 20.09.2018 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, Government of India, on the availability of option for fixation of pay on MACPS from the date of next increment(DNI), if opted, in context of CCS(RP) Rules, 2016, the employees who were granted MACP between 01.01.2016 to 20.09.2018 are allowed to exercise their option for fixation of pay under FR 2(1(a)(11)), within one month from the date of issuance of this Circular. The option so received, shall be final.

This issues with the approval of Chairman Coir Board.


ADMINISTRATIVE OFFICER

To

1. All Sub Offices and SR&SDs
2. E-office Notice Board
3. Coir Board Website